POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 16.09.2025

1.थाना बिसरख पुलिस द्वारा कपड़े की दुकान से चोरी करने वाली 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के कपड़े, रूपये व घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 15.09.2025 को थाना बिसरख क्षेत्र के अंतर्गत गैलेक्सी वेगा सोसायटी के सामने साप्ताहिक बाजार में लगी कपड़े की दुकान से अभियुक्ता 1.जया पत्नी कांतीलाल 2.बीबी पत्नी मुन्ना द्वारा अपने एक अज्ञात साथी के साथ कपड़ो तथा रूपयों की चोरी की गई थी, जिसके सम्बन्ध में वादिया द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 708/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 16.09.2025 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा लोकल इन्टेलीजेन्स व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलान्स की सहायता से अभियुक्ता 1.जया पत्नी कांतीलाल 2. बीबी पत्नी मुन्ना को गैलेक्सी वेगा मार्किट के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्ताओं के कब्जे से चोरी के दो थैले में 05 ब्लाउज, एक काले रंग का पर्स में 700 रुपये चोरी के व घटना में प्रयुक्त एक मारुति कार रजि0नं0 डीएल 8 सी.ए.डी 1104 (सीजशुदा) बरामद हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण--

1. जया पत्नी कांतीलाल निवासी आजादपुर झुग्गी झोपडी, थाना आदर्शनगर, दिल्ली।
2. बीबी पत्नी मुन्ना निवासी आजादपुर झुग्गी झोपडी, थाना आदर्शनगर, दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 708/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी के दो थैले में 05 ब्लाउज
2. एक काले रंग का पर्स में 700 रुपये चोरी के
3. घटना में प्रयुक्त एक मारुति कार रजि0नं0 डीएल 8 सी.ए.डी 1104 (सीजशुदा)

2.थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 02 फर्जी जमानती गिरफ्तार, कब्जे से कूटरचित आधारकार्ड, जमानत संबंधी फर्जी प्रपत्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 16.09.2025 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सूरजपुर में कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए फर्जी जमानत प्रस्तुत करने वाले 02 अभियुक्त 1.अशोक उर्फ अश्वनी पुत्र चन्ना सिंह उर्फ चरण सिंह 2.मोनू पुत्र डालचन्द को मौके पर ही **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 02 कूट रचित आधारकार्ड व जमानत संबंधी फर्जी प्रपत्र बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तों द्वारा स्वयं को अन्य व्यक्ति दर्शाते हुए उनके नाम से कूटरचित आधारकार्ड व दस्तावेज तैयार कर फर्जी जमानती के रूप में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हुआ गया। उक्त अभियुक्त थाना सेक्टर-58 नोएडा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-64/2022 धारा 413/414 भादवि से संबंधित अभियुक्त आकाश की जमानत कराने हेतु प्रयत्नरत थे। इस संबंध में स्थानीय पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को मा0 न्यायालय परिसर से ही गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अशोक उर्फ अश्वनी पुत्र चन्ना सिंह उर्फ चरण सिंह निवासी दयापुरी, मोदीनगर, गाजियाबाद उम्र-46 वर्ष।
2. मोनू पुत्र डालचन्द निवासी दयापुरी, मोदीनगर, गाजियाबाद, उम्र-40 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 536/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 02 कूटरचित आधारकार्ड, जमानत संबंधी फर्जी प्रपत्र।